



समिति पंजीकरण प्रमाण-पत्र

(वर्ष 1860 का इक्कीसवाँ अधिनियम)

क्रमांक R OS - 86 वर्ष 2011-2012

में एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि CHAUDHARY MEHAR SINGH EDUCATIONAL

SOCIETY VILLAGE RAJEPUR TEH. INDRI DIST. KARNAL

नामक समिति को समिति पंजीकरण अधिनियम इक्कीस ऑफ 1860 (तथा पंजाब संशोधन अधिनियम 1957 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01 मास September वर्ष 2011 को करनाल में जारी किया गया।

It is for the information of general public that this certificate is an acknowledgement of registration of ... Society ... and the ... Society would be required to seek clearance/Approval from the government that may be required under relevant Rules/Act.

District Registrar of Firms & Societies, Haryana
KARNAL
जिला रजिस्टार समितियां हरियाणा